राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा,
State Institute of Educational Management and Training,Uttarakhand
Phone: : 0135–2780304, फैक्स: 0135–2780304
E-mail:uksiemat@gmail.com

प्रेषक,

अपर निदेशक,
सीमैट उत्तराखण्ड।

सेवा में,

1. अपर निदेशक, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
2. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड।

पत्रांक : सीमैट/308-09 /स्था0नीति/2022–23 दिनांक 27 अगस्त, 2022

विषय– **स्थानान्तरण नीति हेतु तैयार किये गये ड्राफ्ट को सुझाव आमंत्रित करने हेतु विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की बेवसाईट, पोर्टल एवं एस0सी0ई0आर0टी0 एवं सीमैट की वेबसाईट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा पूर्ववत् दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अवगत कराना है कि स्थानान्तरण नियमावली के ड्राफ्ट हेतु गठित समिति द्वारा तैयार किये गये ड्राफ्ट पर विभिन्न माध्यमों से सुझाव आमंत्रण हेतु विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की वेबसाईट, पोर्टल एस0सी0ई0आर0टी0 तथा सीमैट की वेबसाईट पर अपलोड किया जाना है। उक्त ड्राफ्ट के सम्बन्ध में सुझाव ई–मेल आईडी teacherstransferpolicy22uk@gmail.com पर आमंत्रित किये जा रहे हैं।

अतः उक्त ड्राफ्ट की छायाप्रति आपको इस आशय के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रण हेतु विद्यालयी शिक्षा, सीमैट एवं एस0सी0ई0आर0टी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करेंगे साथ ही ड्राफ्ट पर सुझाव दिनांक 06 सितम्बर, 2022 तक ईमेल आईडी teacherstransferpolicy22uk@gmail.com पर भेजने हेतु भी निर्देश जारी करने का कष्ट करेंगे।

संलग्नक– ड्राफ्ट की छायाप्रति।

भवदीय,

27/8/2022

(दिनेश चन्द्र गौड़)
अपर निदेशक
सीमैट उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्या– सीमैट/308-09/स्था0नीति/2022–23 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि– सम्पादक, हिन्दुस्तान/अमर उजाला/दैनिक जागरण/पंजाब केसरी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त ड्राफ्ट के सम्बन्ध में सुझाव आमंत्रण सम्बन्धी खबर को जनहित में अपने समाचार पत्र में प्रमुखता से प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।

27/8/2022

(दिनेश चन्द्र गौड़)
अपर निदेशक
सीमैट उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) स्थानान्तरण नियमावली–2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) स्थानान्तरण नियमावली 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. इस नियमावली के प्रभावी होने पर इस सम्बन्ध में पूर्व की समस्त नियमावलियां निष्प्रभावी मानी जायेगी।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

3.1 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है।

3.2 'महानिदेशक' से 'महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड' अभिप्रेत है।

3.3 'निदेशक' से 'निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) एवं निदेशक (अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण) उत्तराखण्ड से अभिप्रेत है।

3.4 'शैक्षिक सत्र' से 'किसी वर्ष की पहली अप्रैल से अगले वर्ष की इकतीस मार्च तक की अवधि अभिप्रेत है।

3.5 'सरकार' से 'उत्तराखण्ड राज्य की सरकार' अभिप्रेत है।

3.6. 'राज्यपाल' से 'उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल' अभिप्रेत है।

3.7 'सेवा' से 'उत्तराखण्ड की विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय शिक्षक के पद पर सेवा अभिप्रेत है।

3.8. 'शिक्षक' से उत्तराखण्ड की विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रा0उ0मा0वि0, रा0क0उ0मा0वि0, राजकीय इण्टर कॉलेज, राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, राजकीय आदर्श विद्यालय, अटल उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, एस0सी0ई0आर0टी0, सीमैट, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, शिक्षा निदेशालयों एवं अन्य संस्थानों में सहायक अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के रूप में सेवारत, शिक्षक तथा शिक्षिका, उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) संवर्ग में सहायक अध्यापक (एल0टी0) के रूप में सेवारत शिक्षक/शिक्षिका, उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) में प्रवक्ता के रूप में सेवारत शिक्षक/शिक्षिका अभिप्रेत है, चाहे वह कहीं भी प्रतिनियुक्ति पर भी कार्यरत हो।

3.9 'वरिष्ठ शिक्षक' से प्रत्येक वर्ष की आधार तिथि 31 मार्च को 55 वर्ष तथा उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले शिक्षक अभिप्रेत हैं।

3.10 'गम्भीर रोगी' से अभिप्राय गम्भीर रोग से ग्रस्त शिक्षक की पति/पत्नी एवं परिवार के सदस्य जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के पुत्र एवं पुत्री एवं माता पिता और गम्भीर रोगों के अन्तर्गत कैंसर, ब्लड कैंसर, एडस/एच.आई.वी. (पॉजिटिव), हृदय रोग (बाई पास सर्जरी अथवा एंजियोप्लास्ट्री किया गया है) ,किडनी रोग (दोनों किडनी फेल हो जाने से डायलिसिस पर निर्भर, किडनी ट्रांसप्लांट किया गया हो अथवा एक किडनी निकाली गयी हो), टयूबर कुलोसिस (दोनों फेफड़े संक्रमित हो अथवा एक फेफड़ा पूर्णतः खराब हो), स्पाईन की हड्डी टूटने सार्स (थर्ड स्टेज), मिर्गी, मानसिक रोग अथवा कोई अन्य ऐसा रोग जिसके कारण कार्मिक की किसी क्षेत्र विशेष में तैनाती उचित न होने की संस्तुति राज्य मेडिकल बोर्ड अथवा इस हेतु नामित एम्स/पी0जी0आई0 द्वारा की गई हो।

क्षेत्रों (Zone) का वर्गीकरण

4. शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु विद्यालयों को निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा–
पूरे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों एवं अन्य भौतिक सुविधाओं को देखते हुए दो क्षेत्रों –1. पर्वतीय (H) एवं 2. मैदानी (P) तथा
अग्रेत्तर पर्वतीय क्षेत्र को उपक्षेत्र (SUB ZONE) (H1, H2, H3, H4, H5) एवं
मैदानी क्षेत्र को उपक्षेत्र (SUB ZONE (P1, P2, P3) में बांटा जायेगा।

4.1 **<u>मैदानी क्षेत्र (Zone) P</u>- ऐसे समस्त विद्यालय एवं कार्यालय स्थित हों–**

1. हरिद्वार एवं ऊधम सिंह नगर के समस्त विकासखण्ड में।
2. जनपद देहरादून विकासखण्ड डोईवाला, रायपुर, सहसपुर, विकासनगर में।
3. जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी एवं रामनगर नगर पालिका के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में।
4. जनपद पौड़ी के विकासखण्ड दुगड्डा का कोटद्वार नगरनिगम क्षेत्र एवं विकासखण्ड यमकेश्वर के नगर पंचायत स्वर्गाश्रम के क्षेत्र में।
5. जनपद टिहरी का विकासखण्ड नरेन्द्रनगर के मुनि की रेती नगर पालिका के क्षेत्र में।।
6. जनपद चम्पावत के नगरपालिका टनकपुर व नगर पालिका बनबसा क्षेत्र में।

4.1(1)- मैदानी क्षेत्र के उपक्षेत्र (SUB ZONE)–

(क) P-1 उप क्षेत्र (SUB ZONE)- जनपद मुख्यालय तथा नगर निगम की सीमा से 20 किमी0 (परिवहन विभाग अथवा लोक निर्माण विभाग द्वारा तय की गयी सड़क मार्ग से दूरी के मानकों के अनुसार) में स्थित विद्यालय।

(ख) P-2 उप क्षेत्र (SUB ZONE)- विकासखण्ड मुख्यालय से 15 किमी0 (परिवहन विभाग अथवा लोक निर्माण विभाग द्वारा तय की गयी सड़क मार्ग से दूरी के मानकों के अनुसार) में स्थिति विद्यालय जो कि P-1 से आच्छादित न हों।

(ग) P-3 उप क्षेत्र (SUB ZONE)– P-1 एवं P-2 में स्थित विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य समस्त विद्यालय।

4.2 पर्वतीय क्षेत्र (ZONE) H-

मैदानी क्षेत्र (P) के अन्तर्गत आच्छादित विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य समस्त विद्यालय जो निम्नलिखित उप क्षेत्रों में स्थित हों।

4.2.1 H के कुल आवंटित उपक्षेत्र (SUB ZONE) –

(क) **H-1 उप क्षेत्र (SUB ZONE)-** जनपद मुख्यालय से 15 किमी0 (परिवहन विभाग अथवा लोक निर्माण विभाग द्वारा तय की गयी सड़क मार्ग से दूरी के मानकों के अनुसार) में स्थित विद्यालय, जो सड़क मार्ग के 02 किमी0 से अधिक पैदल दूरी पर स्थित न हो।

(ख). **H-2 उप क्षेत्र (SUB ZONE)-** समस्त नगर निकायों, नगर पालिका, नगर निगम व इनकी सीमा से 10 किमी0 ((परिवहन विभाग अथवा लोक निर्माण विभाग द्वारा तय की गयी सड़क मार्ग से दूरी के मानकों के अनुसार) की परिधि अथवा राष्ट्रीय **राजमार्ग/प्रादेशिक राजमार्ग/जनपदीय एवं मुख्य नगर मार्ग** पर स्थित जो सड़क मार्ग से 02 किमी0 से अधिक पैदल दूरी पर स्थित न हों तथा उपक्षेत्र H-1 से आच्छादित न हो।

(ग). **H-3 उप क्षेत्र (SUB ZONE)-** विकासखण्ड मुख्यालय तथा कैंट बोर्ड व इसके 10 किमी0 (परिवहन विभाग अथवा लोक निर्माण विभाग द्वारा तय की गयी सड़क मार्ग से दूरी के मानकों के अनुसार) में स्थित विद्यालय जो सड़क मार्ग से 02 किमी0 से अधिक पैदल दूरी पर स्थित न हों तथा उपक्षेत्र H-1, H-2 से आच्छादित न हो।

(घ). **H-4 उप क्षेत्र (SUB ZONE)-** विकासखण्ड मुख्यालय से 11 से 20 किमी0 (परिवहन विभाग अथवा लोक निर्माण विभाग द्वारा तय की गयी सड़क मार्ग से दूरी के मानकों के अनुसार) में स्थित विद्यालय जो सड़क मार्ग से 02 किमी0 से अधिक पैदल दूरी पर स्थित न हों तथा उपक्षेत्र H-1, H2, H3 से आच्छादित न हो।

(ड़). **H-5 उप क्षेत्र (SUB ZONE)-** क्षेत्र H-1, H2 ,H3, H4 के अतिरिक्त अन्य समस्त विद्यालय।

4.3 क्षेत्रों (ZONE) के वर्गीकरण/निर्धारण हेतु समिति– जोन तथा उप जोन का निर्धारण जनपद स्तर पर निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगा–

4.3(1) जिलाधिकारी– अध्यक्ष।

4.3(2) मुख्य शिक्षा अधिकारी – सदस्य सचिव।

4.3(3) जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक)– सदस्य उप सचिव।

4.3(4) समस्त विकासखण्डों के उ0शि0अ0/ख0शि0अ0– सदस्य।

4.3(5) मान्यता प्राप्त शिक्षक संघों के जनपद स्तरीय अध्यक्ष एवं सचिव– सदस्य।

नीति में क्षेत्र (ZONE) तथा उप क्षेत्रों (SUB ZONE) में विद्यालयों का निर्धारण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसलिए जनपदीय समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह इस कार्य को सम्पूण पारदर्शिता तथा मानकों के अनुरूप व्यापक विचार विमर्श के पश्चात करेगी।

स्थानान्तरण हेतु गुणांकों का निर्धारण

5.

क्र0 सं0	मानक		अधिकतम अंक	गणना मानक	गणना विधि	अन्य उल्लेखनीय बिन्दु
1	आयु	समस्त शिक्षक	60	अधिकतम उम्र वाले शिक्षक को अधिकतम अंक प्रदान किये जायेंगे	आयु दिनों की संख्या / 365	दशमलव के अधिकतम चार अंकों तक
2 अकादमिक	माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए (जिन विषयों हेतु परिषदीय परीक्षाओं में ग्रेड प्रदान किये जाते हैं उन्हें बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के	20	1. विगत वर्ष की परिषदीय परीक्षा परिणाम के आधार पर। 2. परिषदीय परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं के अनुसार गुणांक	75–80% – 02 81–85% – 04 86–90% – 06 91–95% – 08 96–100% – 10 60–70% अंक प्राप्त करने वालेछात्र X 2.5 / परीक्षा मे सम्मिलित कुल छात्र 71–80% अंक प्राप्त करने वालेछात्र X 5 / परीक्षा में सम्मिलित कुल छात्र 81–90% अंक प्राप्त करने वालेछात्र X 7.5 / परीक्षा में सम्मिलित कुल छात्र 91–100% अंक प्राप्त करने वालेछात्र X 10 / परीक्षा में सम्मिलित कुल छात्र	1. शिक्षक/शिक्षिकाओं को केवल नियुक्ति के विषय में अंक प्रदान किये जायेंगे। 2. प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को सम्पूर्ण परिषदीय परीक्षा के परिणाम के अनुसार ही गुणांक प्रदान किये जायेंगे । यदि किसी विद्यालय में कक्षा 10 एवं 12 दोनो ही कक्षाओं की परिषदीय परीक्षा होती है तो इन दोनों परीक्षाओं के

		अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित कर गुणांकों की गणना की जायेगी)				औसत गुणांक प्रदान किये जायेंगे। 3. यदि किसी शिक्षक द्वारा विगत वर्ष में कक्षा 10 अथवा कक्षा 12 मे अध्यापन कार्य नहीं किया गया है तो उसके गुणांकों की गणना पूर्ववर्ती निकटतम परिषदीय परीक्षा के अनुसार की जायेगी।
		व्यायाम शिक्षक हेतु जिला स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों के आधार पर	20		जनपद स्तर– 05 राज्य स्तर– 10 राष्ट्रीय स्तर– 20	1. जनपद, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तीनों में स्थान प्राप्त करने पर केवल उच्च स्तर पर स्थान प्राप्त के अंक ही जोडे जायेगे। 2. प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को अधिकतम 20 अंक ही प्रदान किये जायेंगे।
		प्रारम्भिक स्तर पर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक	20	1. उक्त के अनुसार ही गणना की जायेगी 2. प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय सम्प्राप्ति स्तर सर्वेक्षण (SLAS) आयोजित किया जायेगा व तद्नुसार पढ़ाई गयी कक्षा/विषय के परीक्षाफल के आधार पर गणना की जायेगी।	2.1 परिषदीय परीक्षाफल के स्थान पर शिक्षक द्वारा पढ़ाई गयी कक्षाओं के परीक्षाफल की गणना की जायेगी यथा– 60–70% अंक प्राप्त करने वालेछात्र X 2.5 / परीक्षा में सम्मिलित कुल छात्र 2.2 इसी प्रकार उपरोक्तानुसार शिक्षक द्वारा पढ़ाए गये विषय/कक्षा के गुणांको की गणना की जायेगी।	प्रतिवर्ष राज्यस्तरीय सम्प्राप्ति स्तर परिक्षण (SLAS) आयोजित किया जायेगा व तद्नुसार पढ़ाई गयी कक्षा/विषय के परीक्षाफल के आधार पर गणना की जायेगी।
3	विशिष्ट	1. विधवा/विधुर/परित्यक्त/परित्यक्ता/तलाकशुदा/अविवाहित महिला जिसकी आयु 40 वर्ष से अधिक/अविवाहित पुरूष	10	पुर्नविवाह की स्थिति में यह लाभ मान्य नहीं होगा।	विधवा एवं विधुर की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परित्यकता हेतु मा0 न्यायालय से प्रदत्त प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।	

	श्रेणी	जिसकी आयु 50 वर्ष से कम न हो				
		2. भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्स जो प्रदेश से बाहर सेवा दे रहे हों/ केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार/ प्रादेशिक सहकारी उपक्रम/ निगम में प्रदेश में कार्यरत कार्मिकों की पत्नी/पति	10	1 .विद्यालयी शिक्षा विभाग को छोड़कर 2. केवल पत्नी अथवा पति को सेवा काल में केवल एक बार देय होगा।		
		3. दिव्यांग शिक्षक	20	दृष्टि बाधित– 20 मूक बधिर एवं श्रवण ह्रास– 20 चलन सम्बन्धी अक्षमता लोकोमोटर्श– 20	40–60 प्रतिशत– 10 61–80 प्रतिशत– 15 81 से अधिक– 20	एम्स, पी0जी0आई0 एवं राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर
		4. दिव्यांग एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता पिता	10	जिनके बच्चे 100 प्रतिशत विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त हों		मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / एम्स, पी0जी0आई0 / राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर
4	विभागीय	विद्यालयी शिक्षा विभाग में कार्यरत पति/पत्नी	20	पति एवं पत्नी दोनों में से एक को पूरे सेवा काल में केवल एकबार		पूरे सेवाकाल में एक बार
5	विभिन्न क्षेत्रों में की गयी सेवाओं के	मैदानी क्षेत्र		P-1 क्षेत्र	कुल सेवा दिवस X 0.25 / 365	
				P-2 क्षेत्र	कुल सेवा दिवस X 0.50 / 365	
				P-3 क्षेत्र	कुल सेवा दिवस X 0.75 / 365	
6				H-1 क्षेत्र	कुल सेवा दिवस X 1 / 365	

	आधार पर अंक निर्धारण	पर्वतीय क्षेत्र		H-2 क्षेत्र	कुल सेवा दिवस X 1.25 / 365	
				H-3 क्षेत्र	कुल सेवा दिवस X 1.50 / 365	
				H-4 क्षेत्र	कुल सेवा दिवस X 1.75 / 365	
				H-5 क्षेत्र	कुल सेवा दिवस X 2 / 365	

उक्त तालिका में किसी भी मानक में गुणांक की गणना दशमलव के 3 अंकों तक ही की जायेगी चौथा दशमलव अंक यदि 5 से अधिक है तो तृतीय दशमलव अंक में 1 जोड़ दिया जायेगा, कम होने पर उसे छोड़ दिया जायेगा।

स्थानान्तरण की प्रक्रिया

6. प्रत्येक शिक्षक के स्थानान्तरण हेतु ऑन लाईन प्रक्रिया अपनाई जायेगी। यह प्रक्रिया इस हेतु विकसित किये गये सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जायेगी।

स्थानान्तरण के प्रकार

7..

7.1 अनिवार्य स्थानान्तरण– गुणांको के आधार वरीयता क्रम में उपलब्ध रिक्त पदो के सापेक्ष।

7.2 अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण– विशेष श्रेणी के अध्यापक, जो निम्न श्रेणी से आच्छादित होते हों–

(1) 100 प्रतिशत दृष्टिह्रास।

(2) किसी भी कारण से 100 प्रतिशत चलन की शक्ति का ह्रास। locomotor disability

(3) कैंसर से पीड़ित।

(4) ह्रदय की बाई पास सर्जरी हुयी हो/ह्रदय वॉल सर्जरी/एंजियोप्लास्टी।

(5) किडनी प्रत्यारोपण।

(6) वर्तमान में डायलसिस पर निर्भर (दोनों किडनी फेल होने पर)

(7) पैरालिटिक स्टोक।

(8) थैलेसिमिया।

(9) एड्स एच0आई0वी0 पॉजिटिव।

(10) ब्रेन ट्यूमर।

यदि उक्त रोगों से ग्रसित शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली के अन्तर्गत आवेदन करता है तो उसे वांछित उपक्षेत्र में स्थानान्तरित किया जायेगा। कैंसर एवं ब्रेन टयूमर से पीड़ित शिक्षक का 6 माह से अधिक अवधि का प्रमाण पत्र ही मान्य नहीं होगा, इन शिक्षकों को किसी भी उपक्षेत्र में जाने की छूट होगी।

उक्त के अतिरिक्त अनुरोध के आधार पर कोई भी स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।

7.3 मान्यता प्राप्त शिक्षक संघों के जनपद, मण्डल एवं प्रान्त के अध्यक्ष एवं महामंत्री/सचिव के स्थानान्तरण उनके द्वारा संगठन मे पद धारित करने की तिथि से दो वर्ष तक नहीं जायेंगे। यदि कोई शिक्षक निरन्तर मान्यता प्राप्त संगठन का अध्यक्ष/महामंत्री/सचिव रहता है तो उस दशा में स्थानान्तरण न किये जाने की छूट की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।

7.4 पारस्परिक स्थानान्तरण– केवल समान सम्बन्धित उपक्षेत्र के अन्तर्गत समान विषय में ही किये जा सकेंगे।

7.5 प्रशासनिक स्थानान्तरण– इस स्थानान्तरण नीति से आच्छादित नहीं होंगे। प्रशासनिक आधार पर हुए स्थानान्तरण को कार्यरत उपक्षेत्र से नीचे के उपक्षेत्र में स्थानान्तरित किया जायेगा।

उदाहरणार्थ– यदि कोई P-1 व H-1 में है तो उसे H-5, H-4, H-3, H-2, P-3 में स्थानान्तरित किया जायेगा।

क्षेत्र व सेवाकाल निर्धारण

8.

8.1. नियमावली के अनुरूप प्रत्येक कार्मिक को प्रत्येक उप क्षेत्र में निर्धारित न्यूनतम सेवा को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.2 शिक्षक के सेवाकाल को सामान्यतः निम्नवत् क्रम में विभाजित किया जायेगा–

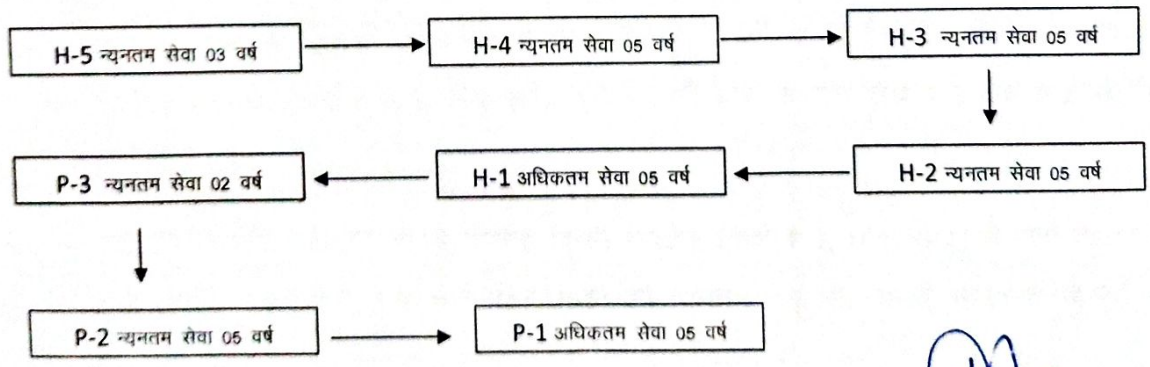

8.3 यदि किसी शिक्षक द्वारा दोनों ही क्षेत्रों (पर्वतीय व मैदानी) में सेवा की हो तो उसके सेवा गुणांकों की गणना किसी क्षेत्र में प्राप्त गुणांकों एवं दूसरे क्षेत्र में प्राप्त गुणांकों में अन्तर से की जायेगी।

उदाहरणार्थ– P क्षेत्र में कुल प्राप्त गुणांक (75)– H क्षेत्र में कुल प्राप्त गुणांक (50)= कुल वर्तमान गुणांक(25)

8.4 वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को उपरोक्त की पात्रता सूची अवरोही क्रम में बिन्दु 05 के मानकानुसार प्राप्त गुणांकों के अनुरूप तैयार की जायेगी। यह पात्रता सूची पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग अलग रूप से तैयार की जायेगी।

8.5 सामान्यतया पात्रता सूची के अनुसार अवरोही क्रम में स्थानान्तरण पर्वतीय से मैदानी व मैदानी से पर्वतीय क्षेत्र में किये जायेंगे। स्थानान्तरण रिक्त पदो के सापेक्ष ही किये जायेंगे।

8.6 उप क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों की पात्रता सूची भी उप क्षेत्रों में की गयी सेवाओं के गुणांकों के आधार पर उपक्षेत्र वार तैयार की जायेगी तथा इसी सूची के अनुसार एक उपक्षेत्र से दूसरे उपक्षेत्र में गुणांकों के अवरोही क्रम में रिक्त पदों के सापेक्ष स्थानान्तरण किये जायेंगे। लेकिन यदि किसी शिक्षक द्वारा किसी उप क्षेत्र में निर्धारित सेवावधि को पूर्ण कर लिया गया है तो उसे उसी उप क्षेत्र में पुनः स्थानान्तरित नही किया जायेगा।

8.7 मैदानी एवं पर्वतीय क्षत्रों में स्थानान्तरित होने वाले शिक्षकों को मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र के उपक्षेत्रों में उनके गुणांकों के अवरोही क्रम में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष वरीयता के आधार पर स्थान दिया जायेगा।

8.8 राज्य एवं मण्डल कैडर के शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति एवं पदोन्नति क्रमशः पर्वतीय क्षेत्र के उप क्षेत्र H-5, H4, H3 में ही की जायेगी।

8.9 जनपद कैडर के शिक्षकों (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक) की प्रथम नियुक्ति एवं पदोन्नति क्रमशः पर्वतीय क्षेत्र के उपक्षेत्र H-5, H4, H3 एवं मैदानी क्षेत्र के उप क्षेत्र P-3 एवं P-2 में ही की जायेगी।

8.10 यदि किसी परिस्थिति विशेष में शिक्षक किसी उपक्षेत्र (यथा P-1, H-1, H-2) में सेवा करता है तो उसे उपक्षेत्र (यथा P-2, P-3, H-3, H-4, H-5) की न्यूनतम सेवा को अपनी सेवाकाल में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8.11 यदि कोई शिक्षक पूर्व से ही किसी उपक्षेत्र में कार्यरत है तथा उसके द्वारा निम्न क्षेत्र की निर्धारित सेवावधि को पूर्ण नही किया गया है तो उन्हें भी उक्तवत् गुणांकों के आधार पर

वरीयता सूची के अनुसार निम्न उपक्षेत्र यथा H-5, H4, H3 अथवा P-3, P-2 में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

8.12 यदि कोई शिक्षक पर्वतीय क्षेत्रों के किसी उपक्षेत्र में ही सेवायें देना चाहता है तो स्थानान्तरण प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा, परन्तु सम्बन्धित शिक्षक उसी उपक्षेत्र का विकल्प भरना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यह भी शर्त रहेगी कि वह पर्वतीय क्षेत्रों के समस्त उपक्षेत्रों हेतु निर्धारित सेवावधि को पूर्ण करेगा तथा पर्वतीय क्षेत्र के उपक्षेत्र H-1, H-2 में अधिकतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सकेगा। इस हेतु भी उपरोक्त गुणांकों की अवरोही क्रम में वरीयता सूची तैयार कर, उपलब्ध रिक्त पदो के सापेक्ष स्थानान्तण किया जायेगा।

8.13 स्थानान्तरण हेतु पात्र शिक्षक अपनी इच्छानुसार ऑन लाईन विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे लेकिन विकल्प केवल उसी क्षेत्र या उपक्षेत्र के लिए ही प्रस्तुत किये जायेंगे जिस क्षेत्र या उप क्षेत्र में स्थानान्तरण के लिए वह पात्र होगा। विकल्प केवल सम्बन्धित क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ही प्रस्तुत किये जा सकेंगे। एक शिक्षक द्वारा अधिकतम 10 विद्यालयों के विकल्प ही दिये जा सकेंगे। शिक्षक द्वारा दिये गये विकल्प में स्थानान्तरण गुणांको के अवरोही क्रम में ही मान्य होंगे अर्थात यदि दो या दो से अधिक शिक्षकों द्वारा समान विकल्प प्रस्तुत किये गये हैं तो अधिक गुणांक वाले शिक्षक को विकल्पित विद्यालय आवंटित किया जायेगा। यदि किसी शिक्षक को उसके द्वारा प्रस्तुत विकल्पों में दिये गये विद्यालयों में स्थान रिक्त न होने अथवा किसी अन्य उच्च गुणांक वाले शिक्षक को आवंटित होने पर उसे स्थानान्तरण हेतु पात्र क्षेत्र अथवा उपक्षेत्र के किसी भी विद्यालय में स्थानान्तरित किया जायेगा व इस हेतु शिक्षक का कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8.14 एन0सी0सी0 के शिक्षको को एन0सी0सी0 वाले विद्यालयों में ही रिक्त पदो के सापेक्ष स्थानान्तरित किया जायेगा। सम्बन्धित क्षेत्र में रिक्ति न होने की दशा में उनसे निचले क्षेत्र के विद्यालय में ही स्थानान्तरण मान्य होगा। यदि कोई एन0सी0सी0 शिक्षक सामान्य स्थानान्तरण प्रक्रिया में ऑनलाईन आवेदन करता है तो उन पर अन्य शिक्षकों की भॉति मानक लागू होंगे।

8.15 वरिष्ठ शिक्षकों को भी उनकी इच्छा के बिना इस नियमावली से मुक्त रखा जायेगा। यदि ऐसा कोई वरिष्ठ शिक्षक स्थानान्तरण हेतु आवेदन करता है तो उसे भी स्थानान्तरण हेतु निर्धारित प्रक्रियानुरूप प्राप्त गुणांकों के आधार पर ही सामान्य शिक्षक की भॉति स्थानान्तरण की सुविधा उपलब्ध होगी।

8.16 अविवाहित महिला को विवाह के पश्चात अपने पति के कार्यस्थल अथवा गृह जनपद में स्थानान्तरण हेतु सम्पूर्ण सेवा काल में एक बार उसकी इच्छानुसार छुट प्रदान की जायेगी।

8.17 संवर्ग (जिला या मण्डल) परिवर्तन हेतु शिक्षक को पूरे सेवाकाल में केवल एक बार संवर्ग परिवर्तन की छूट प्रदान की जायेगी। यहां यह महत्वपूर्ण होगा कि शिक्षक द्वारा एक संवर्ग में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। इसके अतिरिक्त संवर्ग परिवर्तन कर रहे शिक्षक को सम्बन्धित उपक्षेत्र के विद्यालय में ही संवर्ग परिवर्तन करने की छूट होगी। सम्बन्धित उपक्षेत्र के विद्यालय में रिक्ति न होने पर सम्बन्धित उपक्षेत्र से निचले उपक्षेत्र के विद्यालय में संवर्ग परिवर्तन की छूट प्रदान की जायेगी। प्रारम्भिक स्तर पर पदोन्नति वाले पदो पर संवर्ग परिवर्तन की सुविधा नही दी जायेगी।

8.18 अटल उत्कृष्ट विद्यालय, राजीव गांधी नवोदय में चयनित/कार्यरत शिक्षकों का स्थानान्तरण भी इसी स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत ही लागू मानकों के अनुरूप होगा।

8.19 यद्यपि एस0सी0ई0आर0टी0, सीमैट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों एवं अन्य संस्थानों/कार्यालयों में कार्यरत शिक्षकों पर भी यही स्थानान्तरण नीति लागू होगी तथापि इनका पृथक से कैडर बन जाने पर यह नीति प्रभावी नहीं होगी।

8.20 निदेशालयों, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल, सीमैट एस0सी0ई0आर0टी0 समग्र शिक्षा अभियान, एम0डी0एम0 सहित विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थानों में सम्बद्धीकरण/कार्ययोजित अथवा प्रतिनिुक्ति अथवा सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत शिक्षकों की सेवा सम्बन्धित क्षेत्र (जिस क्षेत्र में कार्यालय एवं विद्यालय है) की ही जोड़ी जायेगी जिसमें कि वह वर्तमान में सम्बद्ध/कार्ययोजित है।

स्थानान्तरण की समय सारणी

9.

9.1	वास्तविक एवं फलित रिक्तियों का प्रकाशन–	1 जनवरी से 15 जनवरी प्रत्येक वर्ष ।
9.2	शिक्षकों की पात्रता सूची का प्रकाशन–	15 जनवरी से 15 फरवरी प्रत्येक वर्ष।
9.3	शिक्षकों द्वारा ऑनलाईन विकल्प प्रस्तुत	15 फरवरी से 25 फरवरी।
9.4	स्थानान्तरण प्रक्रिया का सम्पादन–	25 फरवरी से 31 मार्च प्रत्येक वर्ष ।
9.5	ऑन लाईन स्थानान्तरण आदेश जारी	

	करने की तिथि	01 अप्रैल से 30 अप्रैल प्रत्येक वर्ष।
9.6	अंकों की गणना, वास्तविक एवं फलित रिक्तियों आदि के लिए अर्हकारी तिथि–	31 मार्च, स्थानान्तरण आदेश जारी करने की अंतिम तिथि।
9.7	शिकायत निवारण एवं समाधान की अंतिम तिथि	मई प्रत्येक वर्ष

उक्त समय सारणी का किसी भी दशा में उल्लंघन या शिथलीकरण नहीं होगा।

रिक्तियों के प्रकार

10. रिक्तियां दो प्रकार की होंगी–

10.1 वास्तविक रिक्तियां– जिस पद पर निर्धारित तिथि को कोई नियमित शिक्षक कार्यरत नहीं है।

10.2 फलित रिक्तियां– स्थानान्तरण / सेवानिवृत्ति / पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप होने वाली संभावित रिक्तियां। **(31 मार्च तक)।**

अधिकार

11. **स्थानान्तरण पर पदस्थापना शिक्षक का मूल अधिकार नहीं माना जायेगा। उपरोक्त नीति लागू करने में यदि किसी बिन्दु पर व्यवहारिक परेशानी होती है तो विभाग या सरकार इस पर यथोचित निर्णय ले सकती है।**